



पत्र संख्या- 207/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.05.2026

प्रेस- नोट, दिनांक 31.05.2026

थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

फर्जी जमानत प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कूटरचित अभिलेखों के आधार पर अभियुक्तों की जमानत कराने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

दिनांक 30.05.2026 को उपनिरीक्षक चन्द्र प्रकाश कश्यप, चौकी प्रभारी कचहरी द्वारा थाना कोतवाली नगर, जनपद आजमगढ़ पर लिखित सूचना दी गई कि कुछ तथाकथित वकील एवं जमानतदार अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से डकैती, लूट, हत्या, चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर एक्ट एवं अवैध शस्त्र जैसे गंभीर अपराधों में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तों से मिलीभगत कर कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर रहे थे। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक ही जमानतदार द्वारा एक ही प्रकार के प्रपत्रों का उपयोग करते हुए कई अभियुक्तों की जमानतें कराई गईं, जिससे एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की पुष्टि हुई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 267/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111 एवं 61(2) बीएनएस बनाम रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू एवं दयाराम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देश में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू यादव उर्फ सत्यम यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव निवासी ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़** को दिनांक 30.05.2026 को जनपद कारागार गोरखपुर के समीप से समय करीब 21:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले एवं फर्जी अभिलेखों के माध्यम से अपराधियों को लाभ पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त - अभियुक्त रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू यादव उर्फ सत्यम यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव सा0 भरौली थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 0267/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) /111/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0267/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) /111/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 106/2019 धारा 379,411,413,414,419,420,467,468,471 IPC जीयनपुर आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 107/2019 धारा 411,413,414,419,420,467,468,471 भादवि जीयनपुर आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 108/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जीयनपुर आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 76/2019 धारा 379/411 भादवि रौनापार आजमगढ़।

6. मु0अ0सं0 155/2019 धारा 379,411,420,467,468, भादवि दोहरीघाट मऊ ।
7. मु0अ0सं0 480/2021 धारा 457,480,411 भादवि घोसी मऊ ।
8. मु0अ0सं0 401/2021 धारा 457,380,411 भादवि घोसी मऊ ।
9. मु0अ0सं0 411/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट कोपांगंज मऊ ।
10. मु0अ0सं0 558/2021 धारा 3(1) यूपी गैगैस्टर एक्ट कोपांगंज मऊ
11. मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3(1) यूपी गैगैस्टर एक्ट मुहम्मदाबाद मऊ
12. मु0अ0सं0 137/2022 धारा 147,148,307, 323 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ
13. मु0अ0सं0 172/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मुहम्मदाबाद मऊ
14. मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394/307/411/120बी भादवि मुहम्मदाबाद मऊ
15. मु0अ0सं0 610/2022 धारा 307 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ
16. मु0अ0सं0 658/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मुहम्मदाबाद मऊ
17. मु0अ0सं0 112/2021 धारा 402 भादवि चंदवक जौनपुर
18. मु0अ0सं0 184/2023 धारा 395/412/120बी/216ए भादवि0 रानी की सराय आजमगढ़
19. मु0अ0सं0 196/2023 धारा 419/420/411/413/473 भादवि0 रानी की सराय आजमगढ़
20. मु0अ0सं0 200/2023 धारा 307/504 भादवि0 व 3/25 शस्त्र अधि0 रानी की सराय आजमगढ़
21. मु0अ0सं0 161/2023 धारा 379/411 भादवि कोतवाली मऊ
22. मु0अ0सं0 357/2023 धारा 3(1) यूपी0 गैगैस्टर एक्ट रानी की सराय आजमगढ़
23. मु0अ0सं0 175/2021 धारा 120-B, 307, 506 भादवि फूलपुर गोमती कमिश्नेरट वराणसी
24. मु0अ0सं0 124/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2)BNS जीयनपुर आजमगढ़
25. मु0अ0सं0 77/2026 धारा 2(ख)(एक)/3(1) उ0प्र0 गैगैस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 विनय कुमार सिंह
2. उ0नि0 विनय कुमार यादव प्र0चौ0 अजमतगढ़
3. हे0कान्स0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह
3. कान्स0 अजय कुमार
4. कान्स0 संजय कुमार वर्मा
5. रि0कान्स0 शिवम तिवारी
6. रि0म0कान्स0 शिवानी

थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक 31.05.2026

थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

- नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने एवं दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना गम्भीरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दबोचा गया

दिनांक 23.04.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना गम्भीरपुर तहरीर दिया गया कि राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज निवासी धरनीपुर विसयाँ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। घटना के संबंध में जानकारी लेने पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा वादी को गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 094/2026 धारा 137, 87, 352, 351(3) बीएनएस तथा 7/8 पाँक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 पाँक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.05.2026 को उ0नि0 संदीप कुमार दूबे मय हमराह ने मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज निवासी ग्राम धरनीपुर विसयाँ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष को नगरैया प्राइमरी स्कूल के पास से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज ग्राम धरनीपुर विषया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 94/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3)/64(1) बीएनएस व 3 / 4 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संदीप कुमार दूबे, कां0 सोनू यादव, रि0कां0 शुभम शर्मा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 31.05.2026

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर पुलिस ने मारपीट एवं जानलेवा हमले के मामले में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाजुर्म बरामद

दिनांक 29.05.2026 को वादी मुकदमा सुरेश पुत्र केवल निवासी मैगापुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर तहरीर दिया कि दिनांक 27.05.2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे बाँस काटने से मना करने पर विपक्षीगण हरेन्द्र, राहुल, सूरज, आकाश एवं अजय निवासीगण मैगापुर, थाना मुबारकपुर ने एक राय होकर लाठी-डण्डा एवं टांगी से हमला कर वादी व उसके पुत्र शिशुपाल तथा बीच-बचाव करने आई पत्नी इन्दू के साथ मारपीट किया जिसमें शिशुपाल के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 205/2026 धारा 109(1), 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक सौरभ सिंह द्वारा की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देश में त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.05.2026 को उपनिरीक्षक सौरभ सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों हरेन्द्र पुत्र केवल (52 वर्ष), आकाश पुत्र हरेन्द्र (24 वर्ष), अजय पुत्र हरेन्द्र (30 वर्ष) एवं सूरज पुत्र हरेन्द्र (20 वर्ष) निवासीगण मैगापुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को रामपुर मुबारकपट्टी मोड़ से समय करीब 23:45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद डण्डा एवं 01 अदद टांगी बरामद की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. हरेन्द्र पुत्र केवल उम्र 52 वर्ष ,2. आकाश पुत्र हरेन्द्र उम्र 24 वर्ष 3.अजय पुत्र हरेन्द्र उम्र 30 वर्ष 4.सूरज पुत्र हरेन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासीगण मैगापुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:- आलाजुर्म 01 अदद टांगी व 02 अदद लकड़ी का डण्डा

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 205/2026 धारा 109(1),3(5),115(2),351(3) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 205/2026 धारा 109(1),3(5),115(2),351(3) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सौरभ सिंह, हे0का0 दीपक कुमार, का0 विजय गोड़, रि0का0 संतोष सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 31.05.2026

थाना : कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

- गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कन्धरापुर पुलिस को बड़ी सफलता
- चोरी व नकबजनी की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य दबोचे गये
- आमजन में भय व आतंक फैलाने वाले संगठित अपराधी गैंग पर कड़ा प्रहार, दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है।

अवगत कराना है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण एक संगठित अपराधी गिरोह के सदस्य हैं, जो जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी, नकबजनी एवं सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। गिरोह के सदस्यों द्वारा थाना कन्धरापुर, तहबरपुर एवं निजामाबाद क्षेत्र में आवासीय मकानों, विद्यालयों, गोदामों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में चोरी की अनेक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा इन घटनाओं का सफल अनावरण कर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

गिरोह की आपराधिक गतिविधियों से आमजन में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त था। इनके विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी आजमगढ़ को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 28.05.2026 को गिरोह के चार सदस्यों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया, जिसके आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-141/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 31.05.2026 को समय 06:50 बजे प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर श्री केदारनाथ मौर्य मय पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र स्व0 रामनगीना यादव निवासी ग्राम देवपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र 37 वर्ष को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 31.05.2026 को समय 07:30 बजे व0उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शैलेश कुमार यादव पुत्र बाढू यादव निवासी ग्राम खोजापुर माधोपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्ष को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-141/2026, धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. हरिकेश यादव पुत्र स्व0 रामनगीना यादव निवासी ग्राम देवपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र 37 वर्षी
2. शैलेश कुमार यादव पुत्र बाढू यादव निवासी ग्राम खोजापुर माधोपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र 27 वर्षी

आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त हरिकेश यादव एक शातिर एवं आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, धोखाधड़ी, चोरी एवं नकबजनी जैसे गंभीर अपराधों के 41 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।

वहीं गिरफ्तार अभियुक्त शैलेश कुमार यादव के विरुद्ध चोरी, नकबजनी एवं संगठित अपराध से सम्बन्धित 11 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें अधिकांश प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र स्व0 रामनगीना यादव निवासी ग्राम देवपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-991/2008, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-220/2013, धारा 394 भादवि, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-1456/2011, धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-1459/2011, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-232/2011, धारा 394/411 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0-751/2013, धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0-782/2013, धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0-255A/2010, धारा 396 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0-613/2011, धारा 147/323/379/427/506 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0-244/2013, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0-198/2013, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0-197/2013, धारा 307 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0-196/2013, धारा 307/427 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0-194/2013, धारा 307 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0-136/2017, धारा 406/419/420/504 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0-150/2017, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0-57/2021, धारा 411/413/414/419/420/467/468/471/473 भादवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
18. मु0अ0सं0-238/2015, धारा 394 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
19. मु0अ0सं0-306/2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
20. मु0अ0सं0-111/2019, धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
21. मु0अ0सं0-116/2017, धारा 302/201 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
22. मु0अ0सं0-283/2017, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
23. मु0अ0सं0-58/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

24. मु0अ0सं0-156/2016, धारा 302/404 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
25. मु0अ0सं0-56/2021, धारा 307/34 भादवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
26. मु0अ0सं0-187/2021, धारा 3(1) यूपी गैंग्स्टर एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
27. मु0अ0सं0-244/2016, धारा 323/393/427 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
28. मु0अ0सं0-114/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
29. मु0अ0सं0-137/2017, धारा 302/201/392 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
30. मु0अ0सं0-376/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
31. मु0अ0सं0-198/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
32. मु0अ0सं0-214/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
33. मु0अ0सं0-334/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
34. मु0अ0सं0-337/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
35. मु0अ0सं0-346/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
36. मु0अ0सं0-354/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
37. मु0अ0सं0-26/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
38. मु0अ0सं0-27/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
39. मु0अ0सं0-38/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
40. मु0अ0सं0-11/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
41. मु0अ0सं0-105/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त शैलेश कुमार यादव पुत्र बाहू यादव निवासी ग्राम खोजापुर माधोपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-193A/2013, धारा 147/148/452/323/336/504/506/427 भादवि, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-198/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-214/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-334/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-337/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0-346/2024, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0-354/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0-26/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0-27/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0-38/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0-11/2025, धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री केदारनाथ मौर्य, व0उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव, उ0नि0 अखिलेश यादव, म0उ0नि0 खुशबू, रि0का0 दिलीप कुमार यादव, रि0का0 प्रदुम्न साहनी, रि0म0आ0 नेहा मिश्रा, का0 सुजीत यादव, का0 विजय कुमार, का0 रामायण गौतम, रि0का0 सुमित गुप्ता, रि0का0 मनमोहन कुमार तथा रि0का0 अरविन्द कुमार पटेल शामिल रहे।

जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई हेतु सतत प्रतिबद्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 31.05.2026

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

- जमीनी विवाद में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
- तरवां पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमे में नामजद आरोपी को भेजा न्यायालय

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का विवरण-

दिनांक 25.05.2026 को वादिनी श्रीमती कान्ती देवी पत्नी उदयराज पाल निवासी ग्राम जियापुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि जमीनी विवाद को लेकर उनके पट्टीदार गिरीजा पाल पुत्र रीखई पाल निवासी ग्राम जियापुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गयी। बीच-बचाव करने आई उनकी सास श्रीमती रजावती देवी के साथ भी लाठी-डण्डे एवं लात-घूसों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0-100/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 31.05.2026 को उ0नि0 रुपेश सिंह मय हमराह क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गिरीजा पाल पुत्र रीखई पाल निवासी ग्राम जियापुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 70 वर्ष को उसके घर से समय करीब 10:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-100/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गिरीजा पाल पुत्र रीखई पाल निवासी ग्राम जियापुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 70 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रुपेश सिंह, का0 अजय कुमार सिंह एवं का0 अरविन्द, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 31.05.2026

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

- नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में
- पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित बाल अपचारी को तहबरपुर पुलिस ने लिया संरक्षणात्मक अभिरक्षा में

घटना का विवरण-

दिनांक 30.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना तहबरपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक बाल अपचारी द्वारा छेड़खानी की गई। घटना की शिकायत करने पर विपक्षी पक्ष द्वारा वादिनी, उनकी बहन, पुत्र तथा भांजे के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज की गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-87/2026 धारा 74, 352, 115(2) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 त्रिभुवन नारायण सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों/बाल अपचारियों की तलाश एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.05.2026 को उ0नि0 त्रिभुवन नारायण सिंह मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित बाल अपचारी को तहबरपुर तिराहा से समय 10:05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस लाइन्स, आजमगढ़

- जनपद आजमगढ़ पुलिस के 03 उपनिरीक्षक सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त, विदाई समारोह में दी गई भावभीनी विदाई

आज दिनांक 31.05.2026 को जनपद आजमगढ़ पुलिस के 03 उपनिरीक्षक सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन्स, आजमगढ़ में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुष्पमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। साथ ही उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकगण-

1. श्री सुहेल अहमद, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद आजमगढ़।
2. श्रीमती निर्मला देवी, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद आजमगढ़।
3. श्री राजकुमार पाल, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस परिवार की ओर से तीनों सेवानिवृत्त अधिकारियों के दीर्घकालीन समर्पित, अनुशासित एवं उत्कृष्ट सेवाकाल के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनके भावी जीवन हेतु मंगलकामनाएं प्रेषित की गईं।